न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 141/2025 दायर दिनाँक 24.04.2025

वादी

1.सलाराम पुत्र लालूराम जाति नायक निवासी डाबडा तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन

बनाम्

प्रतिवादी

1. प्रभाती देवी पुत्री लालूराम जाति नायक निवासी डाबडा तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज.।
2. मुन्नी देवी पुत्री लालूराम जाति नायक निवासी डाबडा तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज.।
3. मनोहर पुत्र लालूराम जाति नायक निवासी डाबडा तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज.।
4. रूपाराम पुत्र लालूराम जाति नायक निवासी डाबडा तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज.।
5. तहसीलदार मौलासर

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88, R.T. Act., 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री सुरेन्द्र पुरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.04.2026

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 352 रकबा 0.5700 है. वाके सरहद डाबडा पटवार हल्का डाबडा में अवस्थित है। उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता लालाराम उर्फ लालूराम के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तकरण में वादी का नाम सलाराम पुत्र लालूराम के प्रहलाद पुत्र लालाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सलाराम पुत्र लालूराम है तथा वादी का नाम सरकारी रेकर्ड में जिसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का नाम सलाराम पुत्र लालूराम अंकित है जो सही व सत्य है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम प्रहलाद पुत्र लालाराम दर्ज होने से वादी को कानूनी अडचने उत्पन्न हो रही है। जिससे वास्तविक नाम सलाराम पुत्र लालूराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत् आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद ग्राम डाबडा पटवार हल्का डाबडा में खेत खसरा नम्बर 352 रकबा 0.5700 है. भूमि में दर्ज खातेदार प्रहलादराम पुत्र लालाराम के स्थान पर शुद्धिकरण करते हुए सलाराम पुत्र लालूराम नाम राजस्व रेकर्ड किये जाने का निर्णय फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1162 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम डाबडा में खेत खसरा नम्बर 352 रकबा 0.5700 है. भूमि में वादी अपना नाम प्रहलादराम पुत्र लालाराम के स्थान पर सलाराम पुत्र लालूराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम डाबडा के खसरा संख्या 352 रकबा 0.57 है. में वादी का नाम प्रहलादराम पुत्र लालाराम है जो कि वादी के पिता लालाराम की मृत्यु के बाद विरासत नामा. सं. 967 दिनांक 03.12.2016 से आया हुआ है। जिसमें नामा. की परत के पीछे सजरा वार्ड पंच द्वारा प्रमाणित है। परिवार के सदस्य के कोई हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम में पूछताछ में पाया कि उक्त दोनो नाम का व्यक्ति एक ही है और कोई व्यक्ति नहीं है। वादी का गांव में बोलता नाम प्रहलादराम होने से नामान्तकरण में दर्ज हो गया जबकि दस्तावेज में नाम सलाराम पुत्र लालूराम ही है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम डाबडा में खेत खसरा नम्बर 352 रकबा 0.5700 भूमि में वादी का नाम प्रहलादराम पुत्र लालाराम के स्थान पर सलाराम पुत्र लालूराम दुरूस्त किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना